

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1339 का संशोधन व नवीकरण/

Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1339

विषय/Sub: ड्यूअल रिडेंडन्ट कॉमन इंटरफेस यूनिट / Dual Redundant Common Interface Unit

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एच ए एल पी.ओ, बालानगर, हैदराबाद – 500 042, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " ड्यूअल रिडेंडन्ट कॉमन इंटरफेस यूनिट (डीआरसीआईयू) " पार्ट सं. एन148601, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1339, दिनांक 17 अप्रैल 2008, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1339 जारी किया गया था जो कि 30 जून 2013 तक वैध था।

This is to state that the "Dual Redundant Common Interface Unit (DRCIU)" bearing the Part No. N148601, designed, developed and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, HAL P.O., Balanagar, Hyderabad – 500 042, was issued with Type Approval No. 1339 vide ref. No. CEMILAC/5070/TA-1339, dated: 17th Apr 2008 and was valid upto 30th June 2013.

उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1339 और उसके परिशिष्ट 'ए' में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा / The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 1339 and its Appendix 'A'

Wherever	Read as
Drawing No. MDI DOC. No. 148601DL, Issue No. 3, Dated: 04/07/2006.	Drawing No. MDI DOC. No. 148601DL, Issue No. 5, Dated: 04 th Sept. 2007

पृष्ठ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सਂ./TA No. 1339

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जून 2015 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सिम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेज़ों के साथ आर.सी.एम.ए(हैदराबाद), द्वारा एच ए एल, बालानगर, हैदराबाद – 500 042 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगीं।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st June 2015 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyd), C/o. HAL, Balanagar, Hyderabad – 500 042, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1339/Amd-1/1R

दिनांक/Date : *அ June 2015* फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

(पी.जयपाल /P. JAYAPAL) मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)